

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत पी०एल०ए० में रक्षित धनराशि रू०-3,18,25,000.00 को आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/4038, दिनांक 06.09.2016 तथा शासनादेश संख्या-268/2015/3136/पाँच-6-15-04(उपकरण)/15, दिनांक 07.12.15 व शासनादेश संख्या-121/2016/847/पाँच-6-16-07(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत कुल रू०-42,43,00,000.00 (रूपया बयालिस करोड़ तिरालिस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू०-21,21,50,000.00 (रूपया इक्कीस करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.16 द्वारा प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि को वित्त अधिकारी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी०एल०ए० खाता संख्या-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों में रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त पी०एल०ए० में रक्षित धनराशि में से रू०-3,18,25,000.00 (रूपया तीन करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को वित्त अधिकारी, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी०एल०ए० खाता सं०-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों से आहरित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (3) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(4) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-268/2015/3136/पाँच-6-15-04(उपकरण)/15, दिनांक 07.12.15 की यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आ०शा० संख्या- वित्त ई०-3-1436/दस-16 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 257 /2016/ 2223 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) संबंधित जिलाधिकारी।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- (8) प्राचार्य /रजिस्ट्रार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (11) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (14) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- (15) विभागीय वेबमास्टर।


आजा से,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 257 /2016/ 2223 /पाँच-6-16-04(उपकरण)/15टी.सी. तददिनांक 27 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा प्रति उपकरण स्वीकृत लागत	शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	ESR Analyser (Zeeta)	67	150000.00	10050000.00
2	HBAIC Analyser by HPLC Method	67	800000.00	53600000.00
क			योग -	63650000.00
ख			पी0एल0ए0 में रक्षित 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि	3,18,25,000.00

(रूपया तीन करोड़ अट्ठारह लाख पच्चीस हजार मात्र)


(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत 02 उपकरणों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/4038, दिनांक 06.09.2016 व शासनादेश संख्या-268/2015/3136/पाँच-6-15-04(उपकरण)/15, दिनांक 07.12.15 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत कुल ₹0-42,43,00,000.00 (रूपया बयालिस करोड़ तिरालिस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि ₹0-21,21,50,000.00 (रूपया इक्कीस करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसमें संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 02 उपकरणों की स्वीकृति भी सम्मिलित है।

2- संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 02 उपकरणों के क्रय के लिये उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशक (भण्डार) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संलग्न तालिका के कालम-7 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹0-10,12,18,876.50 (रूपया दस करोड़ बारह लाख अठारह हजार आठ सौ छिहत्तर पैसे पचास मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं संलग्न तालिका के कालम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार मूल लागत व पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की कुल धनराशि ₹0-3,75,68,876.50 (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख अड़सठ हजार आठ सौ छिहत्तर पैसे पचास मात्र) तथा उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि ₹0-6,93,93,876.50 (रूपया छः करोड़ तिरानबे लाख तिरानबे हजार आठ सौ छिहत्तर पैसे पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-268/2015/3136/पाँच-6-15-04(उपकरण)/15, दिनांक 07.12.15 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी०ए०एल०, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।
- (6) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
- (7) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा।
- (8) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
- (9) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110- अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
/ (अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 258 /2016/ 3223 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) संबंधित जिलाधिकारी।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (10) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- (12) विभागीय वेबमास्टर।


आज्ञा से,
/ (सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 250 /2016/ 2223(2) /पाँच-6-16-04(उपकरण)/15टी.सी. तददिनांक 27 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र.सं	उपकरण का नाम	कुल प्रस्तावित उपकरणों की संख्या	अनुमानित लागत प्रति उपकरण	शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित प्रति उपकरण लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	अन्तर की कुल धनराशि (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESR Analyser (Zeeta)	67	150000.00	10050000.00	244902.00	16408434.00	6358434.00
2	HBAIC Analyser by HPLC Method	67	800000	53600000	1265827.50	84810442.50	31210442.50
(क)			योग-	6,36,50,000.00		10,12,18,876.50	अन्तर की धनराशि कुल रु0-3,75,68,876.50
(ख)	शासनादेश दिनांक 07.12.15 द्वारा स्वीकृत मूल लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0-3,18,25,000.00						
(ग)	कुल अवमुक्त धनराशि रु0 (क+ख):-रु0-6,93,93,876.50						

(रूपया छः करोड़ तिरानबे लाख तिरानबे हजार आठ सौ छिहत्तर पैसे पचास मात्र)


(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक २७ अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पी०एल०ए० में रक्षित धनराशि रू०-7600000.00 को आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/4038, दिनांक 06.09.2016 तथा शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पाँच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 व शासनादेश संख्या-121/2016/847/पाँच-6-16-07(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल रू०-9,26,00,000.00 (रूपया नौ करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू०-4,63,00,000.00 (रूपया चार करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.16 द्वारा प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि को वित्त अधिकारी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी०एल०ए० खाता संख्या-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों में रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त पी०एल०ए० में रक्षित धनराशि में से रू०-76,00,000.00 (रूपया छिहत्तर लाख मात्र) को वित्त अधिकारी, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी०एल०ए० खाता सं०-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों से आहरित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी०एल०एल०, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (3) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
- (4) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पाँच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 की यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1437/दस-16 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 259 /2016/ 2297 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) संबंधित जिलाधिकारी।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- (8) प्राचार्य /रजिस्ट्रार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- (10) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- (11) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (14) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में। /दस्तावेज हेतु


आज्ञा से,
(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 259 /2016/ 2297 /पांच-6-16-07(उपकरण)/15टी.सी. तददिनांक 27 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र. सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा प्रति उपकरण स्वीकृत लागत	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	ESR Analyser (Zeeta)	16	150000.00	2400000.00
2	HBAIC Analyser by HPLC Method	16	800000.00	12800000.00
क			योग -	15200000.00
ख			पी0एन0ए0 में रक्षित 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि	7600000.00

(रूपया छिहत्तर लाख मात्र)


(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 02 उपकरणों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-737/4038, दिनांक 06.09.2016 व शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पाँच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालॉजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल ₹0-9,26,00,000.00 (रूपया नौ करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त की 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि ₹0-4,63,00,000.00 (रूपया चार करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसमें संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 02 उपकरणों की स्वीकृति भी सम्मिलित है।

2- संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 02 उपकरणों के क्रय के लिये उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशक (भण्डार) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संलग्न तालिका के कालम-7 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹0-2,41,71,672.00 (रूपया दो करोड़ इकतालिस लाख इकहत्तर हजार छः सौ बहत्तर मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं संलग्न तालिका के कालम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार मूल लागत व पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की कुल धनराशि ₹0-89,71,672.00 (रूपया नवासी लाख इकहत्तर हजार छः सौ बहत्तर मात्र) तथा उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि ₹0-1,65,71,672.00 (रूपया एक करोड़ पैंसठ लाख इकहत्तर हजार छः सौ बहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-33/2016/2869/पाँच-6-15-07(उपकरण)/15, दिनांक 03.02.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी०ए०एल०, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।
- (6) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
- (7) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा।
- (8) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
- (9) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवार्य-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय-26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 260/2016/2994 (1)पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) संबंधित जिलाधिकारी।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
- (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (10) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- (12) विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या- २६० /2016/ /पाँच-6-16-07(उपकरण)/15टी.सी. तददिनांक २७ अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र.सं	उपकरण का नाम	कुल प्रस्तावित उपकरणों की संख्या	अनुमानित लागत प्रति उपकरण	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित प्रति उपकरण लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	अन्तर की कुल धनराशि (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESR Analyser (Zeeta)	16	150000.00	2400000.00	244902.00	3918432.00	1518432.00
2	HBAIC Analyser by HPLC Method	16	800000.00	12800000.00	1265827.50	202533240.00	7453240.00
(क)			योग-	15200000.00		24171672.00	अन्तर की धनराशि कुल रू0-8971672.00
(ख)	शासनादेश दिनांक 03.02.16 द्वारा स्वीकृत मूल लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0-76,00,000.00						
(ग)	कुल अवमुक्त धनराशि रू0 (क+ख):-रू0-1,65,71,672.00						

(रूपया एक करोड़ पैंसठ लाख इकहत्तर हजार छः सौ बहत्तर मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद महाराजगंज के जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण हेतु चालू अंश के अन्तर्गत रू०-227.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(24)15/137, दिनांक 24.08.2016 व शासनादेश संख्या-115/2016/860/पाँच-6-16-5(15)/14, दिनांक 31.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-115/2016/860/पाँच-6-16-5(15)/14, दिनांक 31.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद महाराजगंज के जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण के लिये रू०-558.35 लाख की प्रशासनिक एवं रू०-527.00 लाख (रूपया पाँच करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। शासनादेश दिनांक 31.03.16 द्वारा उक्त अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि रू०-5,27,00,000.00 के सापेक्ष प्रश्नगत मद में धनराशि कम अवशेष होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू०-3,30,46,055/- की धनराशि ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी।

2- इस प्रकार जनपद महाराजगंज के जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि रू०-3,30,46,055/- के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.16 के अनुसार जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण के लिये द्वितीय किश्त के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू०-2,27,88,945.00 (रूपया दो करोड़ सत्ताईस लाख अटठासी हजार नौ सौ पैंतालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-115/2016/860/पाँच-6-16-5(15)/14, दिनांक 31.03.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।
- (6) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-115/2016/860/पाँच-6-16-5(15)/14, दिनांक 31.03.2016 की यथावत रहेंगी।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110 अस्पताल तथा औषधालय-78 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य है अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या-261/2016/2120(1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, महाराजगंज।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- (9) मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज।
- (10) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज।
- (11) निदेशक/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (14) वेब मास्टर।

आज्ञा से,

 (अवधेश कुमार पाण्डेय)
 विशेष सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कानपुर नगर के संयुक्त चिकित्सालय, रामा देवी, कानपुर नगर में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण हेतु चालू अंश के अन्तर्गत रू0-255.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(24)15/136, दिनांक 24.08.2016 व शासनादेश संख्या-109/2016/793/पाँच-6-16-5(15)/14टी.सी., दिनांक 31.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-109/2016/793/पाँच-6-16-5(15)/14टी.सी., दिनांक 31.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद कानपुर नगर के संयुक्त चिकित्सालय, रामा देवी, कानपुर नगर में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण के लिये रू0-499.37 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-249.00 लाख (रूपया दो करोड़ उन्चास लाख मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- इस प्रकार जनपद कानपुर नगर के संयुक्त चिकित्सालय, रामा देवी, कानपुर नगर में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि रू0-249.00 लाख के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.16 के अनुसार संयुक्त चिकित्सालय, रामा देवी, कानपुर नगर में स्वतन्त्र विद्युत फीडर के निर्माण के लिये द्वितीय किश्त के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0-250.37 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख सैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-109/2016/793/पाँच-6-16-5(15)/14टी.सी., दिनांक 31.03.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।
- (6) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-109/2016/793/पाँच-6-16-5(15)/14टी.सी., दिनांक 31.03.2016 की यथावत रहेंगी।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110 अस्पताल तथा औषधालय-78 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।


3- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
|
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-262 /2016/2121 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार।
- (5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- (8) मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर ।
- (9) मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर ।
- (10) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, रामा देवी, कानपुर नगर ।
- (11) निदेशक/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (14) वेब मास्टर ।

1 आज से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव